



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश  
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)  
नियम-पुस्तिका  
संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, संविदा जिला लेखा प्रबंधक एवं  
संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर के चयन के लिये  
(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)  
(2023-2024)

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), मध्य प्रदेश के अन्तर्गत संविदा जिला लेखा प्रबंधक, संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक (19 पद) संविदा जिला लेखा प्रबंधक (11 पद) संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर (12 पद) के रिक्त पदों का विवरण निम्न है :-

| पदनाम                        | कुल पद | अनारक्षित (27%) |       | अनुसूचित जनजाति (20%) |       | अनुसूचित जाति (16%) |       | अन्य पिछड़ा वर्ग (27%) |       | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%) |       | रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों है आरक्षित पदों की संख्या (6%) |                           |                                                                                                                          |                                                                                                 |
|------------------------------|--------|-----------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|------------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        | ओपन             | महिला | ओपन                   | महिला | ओपन                 | महिला | ओपन                    | महिला | ओपन                            | महिला | (दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %                                                           | बहरे कम सुनने वाले) 1.5 % | (लोको मोटर डिसेबिलिटी) सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्रोफी) 1.5 % | (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1.5 % |
| District Accounts Manager    | 11     | 2               | 1     | 1                     | 1     | 1                   | 1     | 2                      | 1     | 1                              | 0     | -                                                                                           | -                         | 1                                                                                                                        | -                                                                                               |
| District Community Mobilizer | 12     | 3               | 1     | 1                     | 1     | 1                   | 1     | 2                      | 1     | 1                              | 0     | -                                                                                           | -                         | 1                                                                                                                        | -                                                                                               |
| District Program Manager     | 19     | 4               | 2     | 2                     | 1     | 2                   | 1     | 3                      | 2     | 1                              | 1     | -                                                                                           | -                         | 1                                                                                                                        | -                                                                                               |

- निशक्तजन के लिये संविदा जिला लेखा प्रबंधक, संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्तियों में से 01 पद निशक्तजन के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिये कृपया करें <http://www.nhmmp.gov.in/> अथवा <http://ifforms.mponline.gov.in> वेबसाईट पर जाए।

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक      | 16/02/2024 |
| आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक | 26/02/2024 |
| ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक         | 21/03/2024 |
| आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक    | 22/03/2024 |

## 2. शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँ:-

| पदनाम                        | अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| District Accounts Manager    | <p><b>Essential Qualification:-</b><br/>Inter CA/Inter ICWA/MBA in Finance/M. Com from recognized university.</p> <p><b>Essential Experience:-</b><br/>Minimum 3 years of relevant work experience in reputed Organization preferably in Govt. Sector/Private Sector/NGOs.</p> <p><b>Essential Computer Qualification:-</b><br/>Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)/Diploma in Computer Application (DCA).</p>                                                                                             |
| District Community Mobilizer | <p><b>Essential Education Qualification:-</b><br/>Post Graduate Degree in Social Work (MSW)/Sociology/MA Social Science/Master in Rural Development from recognized university.</p> <p><b>Essential Work Experience:-</b><br/>Minimum 2 years experience of government / Non-Government Organizations in the field of Health / Rural Development / Community Planning.</p> <p><b>Essential Computer Qualification:-</b><br/>Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)/Diploma in Computer Application (DCA).</p> |
| District Program Manager     | <p><b>Essential Qualification:-</b><br/>Post Graduate (Degree or Diploma) in Management with specialization in Health Management /Hospital Management/Hospital Administration / Public Health/ Public Health management from recognized university.</p> <p><b>Essential Experience:-</b><br/>Minimum 3 Years of work experience in public health sector.</p> <p><b>Essential Computer Qualification:-</b><br/>Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)/Diploma in Computer Application (DCA).</p>               |

### 2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे:-

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची।
- आवश्यक अर्हताओं से संबंधित अंकसूची, अनुभव प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।

- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

**नोट:—** आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारीयों का स्वयं परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रुटि की संभावना नगण्य रहे।

## 2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2024.

### 3 \*आयु सीमा:— 21-40 वर्ष (\*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2024)

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 -2019 द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त:जन/ महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

**स्पष्टीकरण:—** आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश के निवासी हैं।

### 4. वेतन:—

4.1 संविदा जिला लेखा प्रबंधक— 42700/— प्रतिमाह, संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर— 36200/— प्रतिमाह एवं संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक,— 42700/—प्रतिमाह।

### 5. आरक्षण नियम:—

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।

### 6. आवेदन प्रक्रिया:—

6.1 उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [\* (आस्ट्रिक) से चिह्नित] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

- 6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है" आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेंगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।
- 6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी., एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।
- 6.8 **विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:-**
- (क) बहरे कम सुनने वाले।
  - (ख) लोकोमोटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी।
  - (ग) ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।
- (6.9) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. **चयन प्रक्रिया:-**
- 7.1 उक्त पदों पर चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा (ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।
- 7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- 7.3 परीक्षा केन्द्र / शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 7.4 **उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:-**
- (क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताएं।
  - (ख) प्राथमिकताएं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद एम पी ऑनलाईन द्वारा केन्द्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
- 7.5 ई-एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन एवं एनएचएम म.प्र. की आधिकारिक वेबसाइट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड [http:// www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर परीक्षा तिथि के सात(7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी.ऑनलाईन अथवा एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी।
- 7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

- 7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।
- 7.8 उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जायेगी:-
- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
  - (ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, उक्त पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।
- 7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।
- 7.10 उम्मीदवार को नियमों और चयन मापदण्डों का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।
- 7.11 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:-**
1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
  2. प्रतिरूपण किया जाना।
  3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
  4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
  5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
  6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
  7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
  8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
  9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।
  10. पुरुष अभ्यर्थी / महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
  11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
  12. अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।
8. **स्थान आवंटन:-**
- 8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
- 8.2 उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी**, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।
- 8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त

प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार एनएचएम म.प्र. द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हू।

9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:-**

- (क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।
- (ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।
- (ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।
- (घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।
- (ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

10. **अन्य निर्देश और दिशा निर्देश:-**

10.1 **चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और छाया प्रति को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:-**

- (क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।
- (ख) नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।
- (ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।
- (घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
- (ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र (जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (च) उक्त पदों पर चयन के लिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
- (छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक संविदा जिला लेखा प्रबंधक, संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के लिये लागू होंगे।
- (झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा और उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (अ:) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. **चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और संविदा जिला लेखा प्रबंधक, संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के बाद,**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

- 11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल-2021 (संशोधित) के अनुरूप होंगी।

12 **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को [को/सम्पूर्ण](#) प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. परिभाषाएँ:-

13.1 “चयन परीक्षा” का अर्थ संविदा जिला लेखा प्रबंधक, संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।



## परिशिष्ट-1

### संविदा जिला लेखा प्रबंधक कार्यदायित्व

1. कार्यक्रम के संचालन हेतु समस्त वित्तीय एवं लेखांकन संबंधी कार्य।
2. गतिविधियों के संचालन हेतु अधीनस्थ संस्थाओं को राशि का नियमानुसार अंतरण करना।
3. समस्त संस्थाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
4. जिलों में वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु कार्यवाही एवं भ्रमण करना।
5. बैंक संबंधी समस्त कार्य एवं एफ.एम.आई.एस. डेटा तैयार करना एवं प्रेषित करना।
6. वार्षिक कार्य योजना तैयार कर नियमानुसार वित्तीय व्यय सुनिश्चित करना।
7. वित्तीय नियमों एवं मानकों के परिपालन हेतु अभिमत देना।
8. ऑडिट संबंधी समस्त कार्यों का संपादन करना।
9. नियमों एवं निर्देशों के भुगतान हेतु कार्यवाही करना।
10. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपा गया अतिरिक्त कार्य।

## परिशिष्ट-2

### संविदा जिला कम्युनिटी मोबिलाईज़र कार्यदायित्व

#### 1. आशा कार्यक्रम –

- 1 प्रतिमाह 2 विकासखण्ड, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 ग्रामों में आशाओं एवं ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की बैठक में भेंट देकर सहयोगी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- 2 आशा, आशा सहयोगी एवं बी.सी.एम. का चयन एवं प्रशिक्षण समय-सीमा में, गुणवत्ता पूर्ण, पारदर्शी करना।
- 3 आशा, आशा सहयोगी को प्रोत्साहन की सिंगल विंडों एवं मासिक भुगतान सुनिश्चित कराते हुये बुकिंग करना।
- 4 आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. में अच्छे संबंध स्थापित रहें तथा इनकी भूमिकायें स्पष्ट रहें। इस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित करना।

#### 2. सामुदायीकरण –

- 1 सामुदायिक भागीदारी की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला तथा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधन इकाईओं से समन्वय स्थापित करना।
- 2 आशा मेंटारिंग ग्रुप फॉर कम्युनिटी एक्शन (जिला एवं विकासखण्ड एम.जी.सी) का प्रावधान अनुसार ग्रेवेन्स रिड्रेसल सेल के गठन, संचालन द्वारा आशा, आशा सहयोगी तथा अन्य समस्याओं का निपटारा करना ताकि वह अपने कार्य को पूर्ण लगन से कर सके।
- 3 राज्य स्तरीय आशा मेंटारिंग ग्रुप के सदस्यों हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- 4 आशा, ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति तथा सामुदायिक निगरानी के कार्यों की आयोजना, निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

#### 3. ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति –

1. आशा ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के गठन एवं संचालन में सहयोग एवं क्रियान्वयन में नवाचार गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करना।
2. अन्य गतिविधियों में जैसे – आशाओं की मासिक बैठकों, आशा दिवस इत्यादि का जिले की कार्ययोजना अनुसार क्रियान्वयन करना।
3. ग्राम आरोग्य केन्द्र की स्थापना एवं सामग्री उपलब्ध कराना। ग्राम स्वास्थ्य व पोषण दिवस (व्ही.एच. एन.डी.) में गुणवत्ता हेतु आवश्यक रणनीति बनाना।  
ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को समय पर अनाबद्ध राशि उपलब्ध कराना तथा प्रावधान अनुसार मार्गदर्शन देना।

#### 4. प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन –

1. कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रशिक्षणों को कार्ययोजना के अनुसार समय-सीमा में संपन्न कराना।
2. कार्यक्रम से संबंधित सभी जिला व विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों, सहयोगी विभागों का आशा कार्यक्रम व ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति हेतु उन्मुखीकरण करना।
3. बी.सी.एम. को कार्यों के नियोजन तथा निष्पादन में आ रही समस्याओं में सहयोग प्रदान करना।
4. रिपोर्ट्स एवं आंकड़ों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना।

5. इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य आशा रिसोर्स सेल/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रदान किये गये कार्यों को करना।

### **परिशिष्ट-3**

#### **संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक, कार्यदायित्व**

- सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों मुख्यतः परिवार कल्याण कार्यक्रम के सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य हितग्राही के साथ गहन विचार-विमर्श करना।
- मानव शक्ति, भवन, उपकरण और अन्य समर्थन बुनियादी ढाँचे सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए संभाग एवं जिला संसाधन डेटाबेस बनाना।
- समय पर संकलन और वसूली सुनिश्चित करना और समय पर भेजना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य आधारित उद्देश्यों के आधार पर संभाग एवं जिला कार्य योजना को विकसित करने में संभागीय संयुक्त संचालक, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सहायता करना।
- सार्थक प्रारूपों में प्रासंगिक जानकारी के संकलन, विश्लेषण और प्रस्तुति सुनिश्चित करना।
- रणनीतियों/सेवाओं को गुणवत्ता और अनुमोदन के लिए संभाग एवं जिला समाज के लिए वर्तमान में सुधार करने की योजना का विकास करना।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपा गया अतिरिक्त कार्य।